

अहोबलिम तीर्थ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध

स्रोत: द द्रिष्टि

हाल ही में [नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रज़िर्व](#) के भीतर स्थिति **अहोबलिम मंदिर** परिसर में आगंतुकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

- चीथल बेस कैम्प में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध, संभावित मानव-पशु संघर्ष के कारण रातभर रुकने एवं मंदिर में पशुबलापिण प्रतिबंध शामिल हैं, ये सभी उपाय अत्यधिक गर्मी की प्रतिक्रिया तथा वन्यजीवों के संरक्षण के लिये उठाए गए हैं।
 - इसके निकटवर्ती नल्लामाला वन क्षेत्र में **रेड सैंडर्स**, तेंदुओं एवं हरिणों तथा बाघ आदनिवास करते हैं।
- वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा **वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972** के प्रावधानों के अनुसार गठित **अहोबलिम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** इस क्षेत्र के लिये विशिष्ट दुर्लभ वनस्पतियों एवं जीवों की देखरेख व संरक्षण करता है।
 - अहोबलिम मंदिर परिसर में **नल्लामाला वन** के भीतर स्थिति **भगवान नरसिंहा के 9 मंदिर** हैं। नौ तीर्थस्थलों के अतिरिक्त पहाड़ की तलहटी में **प्रह्लाद वरदा वरधन** का एक मंदिर भी शामिल है।

और पढ़ें... [नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रज़िर्व](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/restrictions-on-pilgrims-visiting-ahobilam-shrine>

